एडीजी(अपराध) परिपत्र-2 /2017

चन्द्र प्रकाश
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध)
उत्तर प्रदेश
1-तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःजून 22 ,2017

प्रिय महोदय,

कृपया विवेचनाओं के गुणवत्तापरक निस्तारण के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के परिपत्र संख्याः 06/2016 दिनांक 03.02.2016 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अपने जोन/परिक्षेत्र की 10-10 महत्वपूर्ण विवेचनाओं को चयनित कर अपने निकट पर्यवेक्षण में गुणवत्तापरक निस्तारण कराये जाने के निर्देशों का सम्यक् रूप से अनुपालन किये जाने एवं उन विवेचनाओं की सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश विषयक है ।

2- मेरे संज्ञान में तथ्य आये हैं कि परिक्षेत्र/जोनल स्तर के अधिकारियों द्वारा विवेचनाओं की समीक्षा नही की जा रही है और न ही उन विवेचनाओं में किसी प्रकार का सार्थक मार्गदर्शन ही दिया जा रहा हैं। मात्र सनसनीखेज प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर औपचारिकता पूर्ण की जा रही है।

3- आप सहमत होंगे कि पुलिस अधिकारी के प्राथमिक दायित्वों में विवेचनाओं का पर्यवेक्षण करते हुए अपराधों का अनावरण व अपराधियों को सजा दिलाया जाना भी है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न तो निष्ठापूर्वक निचले स्तर पर नियमित रूप से अर्दली रूम आयोजित किये जा रहे हैं और न ही इस मुख्यालय स्तर के निर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी अपने जनपदों की महत्वपूर्ण विवेचनाओं का निकटता से पर्यवेक्षण ही कर रहे हैं। विवेचनाओं के निस्तारण में जहाँ अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है वहीं विलम्ब होने के कारण महत्वपूर्ण एवं सारवान साक्ष्य नष्ट होने की भी सम्भावनायें बढ़ जाती हैं, जिससे अपराधी को आसानी से बच निकलने का अवसर मिल जाता है।

4- मैं अपेक्षा करूँगा कि पूर्व निर्गत उक्त संदर्भित परिपत्र का भली-भाँति अध्ययन कर लें एवं अपने अधीनस्थ जोन/परिक्षेत्र की 10-10 विवेचनाओं का अपने स्तर से चयन करते हुए उन विवेचनाओं का अपने निकट पर्यवेक्षण में गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करायें एवं वर्तमान में चयनित विवेचनाओं की सूची दिनांक 24.06.2017 तक प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को ईमेल पताःigcrime-up@nic.in section7crime@gmail.com पर उपलब्ध करायेंगे।

<u>संलग्नकःयथोपरि</u>

सस्नेह,

भवदीय
22/6/17
(चन्द्र प्रकाश)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(नाम से)/
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक(नाम से),
उत्तर प्रदेश।

डीजी परिपत्र संख्या - 06 /2016

जावीद अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः फरवरी 03,2016

प्रिय महोदय,

इस मुख्यालय पर की जाने वाली विवेचनाओं की समीक्षा के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ है कि परिक्षेत्र/जोनल स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रमुख विवेचनाओं की कोई भी गहन समीक्षा नहीं की जा रही है एवं उनमें किसी प्रकार का सार्थक मार्गदर्शन भी नहीं दिया जा रहा है। केवल सनसनीखेज प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करके ही औपचारिकता पूर्ण की जा रही है। यह स्थिति कदापि सन्तोषजनक नहीं है।

2. स्मरणीय है कि पुलिस अधिकारी के प्राथमिक दायित्वों में विवेचनाओं का पर्यवेक्षण करते हुए अपराधों का अनावरण व अपराधियों को सजा दिलाया जाना भी है। यह देखा जा रहा है कि इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु न तो निष्ठा पूर्वक निचले स्तर पर नियमित अर्दलीरूम आयोजित किये जा रहे हैं और न ही इस मुख्यालय के निर्देशों के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने जनपदों की महत्वपूर्ण विचेनाओं का गहन एवं निकटता से पर्यवेक्षण ही कर रहे हैं। विवेचक, पर्याप्त एवं वैज्ञानिक साक्ष्य समय से एकत्र कर रहे हैं आवश्यकतानुसार विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं अथवा लूटी गयी सम्पत्ति की बरामदगी के कड़े प्रयास कर रहे हैं, यह देखने की व्यवस्था न के बराबर है।

3. इन विसंगतियों को देखते हुए अनावरण हेतु शेष, सनसनीखेज अथवा वह विवेचनायें जिनमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, के उच्च स्तर पर सीधे एवं निकट पर्यवेक्षण की निम्न व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जो परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक सम्पादित करेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था निर्धारित करने के लिए वह स्वतंत्र होंगे :-

- प्रत्येक परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों के 10-10 प्रकरण, जो उपरोक्त श्रेणी में आते हों, का चयन करेंगे और यह देख लेंगे कि चयनित प्रकरण परिक्षेत्र/जोनल स्तर पर एक न हो। इनकी सूची अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध को भी एक सप्ताह में उपलब्ध करा दी जायेगी।
- परिक्षेत्रीय एवं जोनल स्तर के अधिकारी इन चिन्हित मामलों की विस्तृत समीक्षा विवेचकों, पर्यवेक्षण अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ प्रतिमाह करेंगे।
- चयनित प्रकरणों की प्रत्येक समीक्षा के उपरान्त लिखित दिशा-निर्देश सर्वसम्बन्धित को अनुपालनार्थ भेजे जायेगे एवं उसकी एक प्रति इस मुख्यालय पर अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध को भी समीक्षा के तीन दिवस के अन्दर अवलोकनार्थ प्रेषित होगी।

- चयनित मामलों की समीक्षा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा तब तक की जायेगी, जब तक विवेचना का सन्तोषजनक समाधान नहीं हो जाता है।
- जैसे-जैसे चयनित प्रकरण/प्रकरणों का निस्तारण होता जायेगा, वैसे-वैसे इंगित श्रेणी के नवीन मामलें समीक्षा में शामिल किये जायेगें, ताकि हर दशा में 10 महत्वपूर्ण प्रकरण समीक्षा हेतु प्रत्येक अधिकारी के पास रहें।

4. मैं आशा करता हूँ कि निर्दिष्ट योजना के अनुरूप आप तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पूर्ण मनोयोग के साथ महत्वपूर्ण विवेचनाओं में गुणात्मक सुधार लाने के गुरूत्तर कार्य में अपना श्रेष्ठतम योगदान देंगे।

भवदीय,

(जावीद अहमद)

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक(नाम से)/
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक (नाम से),
<u>उत्तर प्रदेश</u>।

<u>प्रतिलिपि</u>-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3 अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
4 पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।